


258

382

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सिक्रेट कोर्ट रोवा 40 प्रो॥

RS 217 24/17



श्री दिनेश सिंह तनय चन्द्रमौल सिंह निवासी ग्राम मुखरपुरी तुर्की तहसील रामनगर

पुनर्निक्षणकर्ता

जिला सतना 40 प्रो

बनाम

धरमश्री चतुर्वेदी
क डारा वेशा 25.5.17

श्री जगदीश सिंह पिता गजाधर सिंह

श्री प्रभाकर सिंह

3- श्री कमलभान सिंह दोनों के पिता जगदीश सिंह तीनों निवासी ग्राम

तुर्की तहसील रामनगर जिला सतना 40 प्रो॥ --- गैरपुनर्निक्षणकर्ता

पुनर्निरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
राजस्व निरीक्षक महोदय मंडल बडवार
तहसील रामनगर जिला सतना 40 प्रो॥
द्वारा प्रो क्रो 14-अ12 /14-15 मे -

पारित आदेश दिनांक 25-7-15

पुनर्निरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 40 प्रो 40 रटो
संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

पुनर्निरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :-

1. यहाँक अधी० न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25-7-15
विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त कर जाने योग्य है ।

2. यह कि अधी० न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विधि

28

क्र-2 दिनेश सिंह

(258)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5217-2117

जिला सतना

दिनेश सिंह

विरुद्ध जगदीश सिंह

3

17-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री दिनेश सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त बड़वारतहसील सतना के प्रकरण क्रमांक 14/312/14-15 में पारित आदेश दिनांक 25-7-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 19-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।


सदस्य

